सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के विषय में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का प्रेरणास्रोत क्या है?

सांसद आदर्श ग्राम योजना महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना 'स्वराज' को 'सुराज' में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।

2. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का लक्ष्य क्या है?

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के इस व्यापक और जीवंत स्वप्न को सार्थक बनाना है।

3. सांसद आदर्श ग्राम योजना में किन मूल्यों का प्रचार किया जाता है?

सांसद आदर्श ग्राम योजना में जिन मूल्यों का प्रचार किया जाना है, वे इस प्रकार हैं:

क. अपने ध्येय के रूप में लोगों की भागीदारी को अपनाना, ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी पहलुओं खासकर शासन से संबंधित निर्णय निर्माण में, समाज के सभी वर्गों का समामेलन सुनिश्चित करना।

ख. अंत्योदय का अनुपालन – गांव में "अति निर्धनों और कमजोर व्यक्तियों" के कल्याण में सहयोग करना।

ग. महिला पुरूष समानता की पुष्टि करना और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना।

घ. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

ङ. श्रम की गरिमा और सामुदायिक सेवा एवं स्वैच्छिक सेवा की भावना मन में बैठाना।

च. साफ–सफाई की आदत को बढ़ावा देना।

छ. प्रकृति के सान्निध्य में रहना – विकास और पारिस्थितिकी में संतुलन सुनिश्चित करना।

ज. स्थानीय सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित रखना और इसे प्रोत्साहन देना।

झ. पारस्परिक सहयोग, स्व–सहायता और आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करना।

ञ. ग्रामीण समुदाय में शांति और सौहार्द को बनाए रखना।

ट. सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बढ़ाना।

ठ. स्थानीय स्वशासन को सहायता प्रदान करना।

ड. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में उल्लिखित नैतिक मूल्यों का अनुपालन।

4. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. चिह्नित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।

ख. आबादी के सभी वर्गों के जीवन–स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार लाना। यह कार्य निम्न के माध्यम से किया जाएगा।

i. उन्नत बुनियादी सुविधाएं

ii. अधिकतम उत्पादकता

iii. बेहतर मानव विकास

iv. बेहतर आजीविका के अवसर

v. विसंगतियों में कमी

vi. अधिकार और हकदारी दिलाना

vii. वृहत सामाजिक एकजुटता

viii. समृद्ध सामाजिक पूंजी

ग. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

घ. चिह्नित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में स्थापित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

5. पिछले अनुभवों से स्थानीय विकास की कौन सी चुनौतियां प्रकट हुई हैं ?

स्थानीय विकास से संबंधित कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं:–

क. लंबे समय तक के लिए प्रभावी विकास का साझा विजन तैयार करने में असमर्थता।

ख विकास इनपुट और समुदाय की वास्तविक जरूरतों के बीच कोई संबंध नहीं।

ग. समाज के सभी वर्गों खासकर सीमांत व्यक्तियों और बुजुर्गों की भागीदारी की कमी।

घ. सामाजिक पहलुओं और निरंतर परिणामों को देखे बिना अवसंरचना और खर्च पर विशेष ध्यान।

ङ. मुख्य रूप से सरकारी अनुदानों पर भरोसा और सामुदायिक अंशदान एवं स्वयं–सहायता के लिए जोर न देना।

च. विभिन्न योजनाओं के घटकों में आपसी तालमेल की कमी।

छ. स्थानों और परिवारों को लाभों के आबंटन के संबंध में गलत निर्णय, जिससे अलगाव की भावना पनपती है।

ज. राजनैतिक अंधभक्ति महसूस की गई और जो वास्तविक है।

झ. समुदाय के विभिन्न वर्गों की सामाजिक–आर्थिक मान्यताओं की अवहेलना

ञ. सत्ता के विभिन्न केंद्रो की मौजूदगी और उनके बीच तालमेल की कमी ।

ट. शीघ्र लाभ पाने के लिए पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी

ठ. मद्यपान, दहेज प्रथा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, महिलाओं से भेदभाव जैसी सामाजिक बुराईयों की व्याप्तपता।

6. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ?

निम्नलिखित दृष्टिकोण से एसएजीवाई का मार्गदर्शन किया जाएगा

क. संसद सदस्यों की नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता से मॉडल ग्राम पंचायत तैयार करना।

ख. स्थानीय स्तर पर साझा विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उन्हें प्रेरित करना।

ग. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, निजी एवं स्वैच्छिक अभिनव पहलों में तालमेल बिठाना ताकि जनता की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

घ. स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ भागीदारी बढ़ाना।

ङ. परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान।

7. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के कार्यकलाप किन क्षेत्रों पर केंद्रित होने चाहिए?

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के कार्यकलाप नागरिकों के वैयक्तिक विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास सहित सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होने चाहिएं।

8. ग्रामवासियों के वैयक्तिक विकास के लिए कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं ?

ग्रामवासियों के वैयक्तिक विकास के अंतर्गत किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. कार्यों में साफ–सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास

ख. दैनिक व्यायाम और खेलकूद सहित स्वास्थ्यपरक आदतों का विकास

ग. जोखिम से जुड़ी आदतों–मद्यपान, धूम्रपान, नशीले पदार्थों के सेवन इत्यादि में कमी।

9. गांवों में मानव विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

गांव में मानव विकास के अंतर्गत शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं जिसमें हेल्थ कार्ड, मेडिकल जांच शामिल हैं, उपलब्ध कराना

ख. संपूर्ण टीकाकरण

ग. महिला–पुरूष अनुपात में संतुलन

घ. अस्पतालों में शत–प्रतिशत प्रसव

ङ. सभी के पोषण स्तर को बेहतर बनाना, जिसमें बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

च. विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की विशेष जरूरतों पर जोर देना

छ. सभी को दसवीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना

ज. विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' में बदलना। स्मार्ट स्कूलों में आईटी आधारित क्लासरूम, ई–पुस्तकालय, वेब आधारित शिक्षण की व्यवस्था होगी और सभी

छात्रों को ई–साक्षर बनाया जाएगा जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायक है।

झ. प्रौढ़ शिक्षा

ञ. ई–साक्षरता

ट. ई–लाइब्रेरी सहित ग्रामीण पुस्तकालय

10. गांव के सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

गांव के सामाजिक विकास के अंतर्गत शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

क. भारत निर्माण स्वयंसेवियों जैसे स्वयंसेवकों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप

ख. नागरिकों की क्षमता बढ़ाना ताकि वे स्थानीय विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह भाग ले सकें और अपना योगदान दे सकें

ग. ग्रामीण वृद्धों, स्थानीय रोल मॉडलों विशेषकर महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने वाले कार्यकलाप

घ. हिंसा और अपराध मुक्त गांवों के लिए कार्यकलाप अर्थात्

  क. नागरिक समितियां गठित करना

  ख. विशेषकर युवाओं को संवेदनशील बनाना

ङ. ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव

च. एक ऐसा 'ग्राम गीत' बनाना जिससे लोगों में गर्व की भावना पनपे

छ. 'ग्राम दिवस' का आयोजन

ज. सामाजिक रूप से अलग–थलग पड़े समूहों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के समावेशन एवं समेकन के लिए किए जाने वाले सक्रिय उपाय।

11. गाँव के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

सभी आर्थिक कार्यकलाप परिवारों को गरीबी से उबारने पर विशेष रूप से केंद्रित होने चाहिएं, जिसके लिए महिला स्व–सहायता समूहों और उनके संघों का गठन किया जाना, सभी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना तथा वित्तीय समावेशन

सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। गांव के आर्थिक विकास के अंतर्गत शुरू किए जा सकने वाले कुछ कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

i. निम्न के माध्यम से विविध प्रकार की कृषि आजीविकाओं, जिसमें पशुधन और बागवानी भी शामिल है, को बढ़ावा देना

   क. जैविक कृषि

   ख. मृदा गुणवत्ता कार्ड

   ग. फसलों की पैदावार बढ़ाना जैसे कि एसआरआई

   घ. बीज बैंकों की स्थापना

   ड. गैर–इमारती वन उत्पाद का संग्रहण और मूल्य संवर्धन

   च. गोबर बैंक, मवेशी होस्टल सहित पशुधन विकास

   छ. लघु सिंचाई

   ज. कृषि सेवा केन्द्र

ii. ग्रामीण औद्योगिकीकरण, जैसे कि

   क. फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी का उपयोग

   ख. लघु उद्यम

   ग. डेयरी विकास और प्रसंस्करण

   घ. खाद्य प्रसंस्करण

   ङ. पारंपरिक उद्योग

iii. स्वरोजगार और नियोजन के लिए सभी पात्र युवाओं का कौशल विकास

iv. ईको–टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन।

12. गांव के पर्यावरणीय विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

गांव के पर्यावरणीय विकास के लिए शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. स्वच्छ और हरित ग्राम के लिए कार्यकलाप जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

   i. प्रत्येक परिवार में और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालयों की व्यवस्था करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना

ii. उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

ख. सड़कों के किनारों पर पौधरोपण

ग. हरित पगडंडी सहित आवास परिसर, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं में स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार वृक्षारोपण

घ. सामाजिक वानिकी

ङ. वाटरशेड प्रबंधन विशेषकर पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार और उन्हें फिर से उपयोग में लाना।

च. वर्षा जल संचयन–छत तथा अन्य स्थानों पर वर्षा जल एकत्रीकरण

छ. वायु, जल और भूमि को स्थानीय रूप से प्रदूषित होने से बचाना

13. गांव में आधारभूत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

गांव में बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. सभी बेघर गरीबों/कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्के मकान

ख. पेयजल, प्राथमिकता के साथ आवासीय नलों से शोधित पाईप्ड वाटर

ग. ढकी हुई नालियों युक्त भीतरी बारहमासी सड़कें

घ. मुख्य सड़क नेटवर्क तक बारहमासी सड़क संपर्क

ङ. सभी परिवारों में बिजली का कनेक्शन और स्ट्रीट लाईट जिसमें बिजली के वैकल्पिक स्रोत, विशेषकर सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट शामिल हैं

च. सार्वजनिक संस्थाओं आंगनवाड़ियों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालयों, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना

छ. सामुदायिक भवन, एसएचजी संघों के लिए भवन, खेल परिसर तथा कब्रगाह/श्मशान घाट सहित लोक उपयोगी अवसंरचना

ज. ग्रामीण बाजार

झ. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए अवसंरचना

ञ. माइक्रो मिनि बैंक/डाकघर/एटीएम

ट. ब्रोड बैंड कनेक्टिविटी और कॉमन सर्विस सेन्टर

ठ. टेलीकॉम कनेक्टिविटी

ड. सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी

14. गांव में सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रावधान के लिए कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

गांव में सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रावधान के लिए शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. सभी पात्र परिवारों – वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं के लिए पेंशन

ख. आम आदमी बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएं

ग. स्वास्थ्य बीमा – आर एस बी वाई

घ. सार्वजनिक वितरण प्रणाली – सभी पात्र परिवारों के लिए सर्वसामान्य उपलब्धता

15. गांव में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

गांव में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. सृदृढ़ और जवाबदेह पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना।

ख. ई–शासन जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

ग. सभी के लिए यूआईएडीआई (आधार) कार्डों की व्यवस्था।

घ. सरकारी और पंचायत कर्मियों की नियमित एवं समय पर हाजिरी सुनिश्चित करना।

ङ. विभाग के सिटिजन चार्टर के अनुरूप समयबद्ध ढंग से सेवा प्रदायगी।

च. ग्राम सभा की बैठक से पूर्व महिला ग्राम सभा का आयोजन।

छ. एक वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा का आयोजन।

ज. प्रत्येक तिमाही में बाल सभा का आयोजन।

झ. कार्यक्रम के क्रियान्वन से संबंधित सभी जानकारियों को सार्वजनिक करना और स्थानीय भाषा में दीवारों पर लिखाई, नोटिस बोर्डों के माध्यम से इन

जानकारियों का स्वतः प्रकटन करना। इसमें लाभार्थियों की सूची, मद–वार बजट और खर्च को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

ञ. सूचना सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहीं ग्राम पंचायतें।

ट. जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का समय पर निपटान

i. सभी प्रकार की शिकायतें ग्राम पंचायत/प्रभार अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी और उनसे तारीख युक्त पावती ली जाएगी।

ii. तीन सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर के साथ शिकायतों का निपटान किया जाएगा।

iii. शिकायतों को सुनने और इनका निपटान करने के लिए ग्राम पंचायतों के सहयोग से नियमित रूप से खुले मंच के आयोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ठ. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन की अर्धवार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी और मनरेगा के तहत स्थापित की गई सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई इसमें सहयोग करेगी।

16. चिह्नित ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने की संभावित कार्यनीतियां कौन–सी हैं?

चिह्नित ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने की संभावित कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

क. सकारात्मक साझा कार्रवाई के प्रति समुदाय को एकजुट एवं प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप।

ख. लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए साझा आयोजना कार्य।

ग. जहां तक संभव हो केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और साथ ही राज्यों की अन्य योजनाओं से प्राप्त संसाधनों में तालमेल।

घ. यथासंभव मौजूदा अवसंरचना की मरम्मत तथा उनका पुनरूद्धार।

ङ. ग्राम पंचायतों और इनके अंतर्गत आने वाली लोक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

च. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

17. आदर्श ग्राम बनाने के लिए गांव का निर्धारण कैसे किया जाएगा?

संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या

अपने/अपनी पति/पत्नी के गांव से भिन्न किसी अन्य उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

लोक सभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र से चयन करना होगा और राज्य सभा संसद सदस्य को उस राज्य, जहां से वे निर्वाचित हैं, से अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। नामित संसद सदस्य देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से किसी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में (जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है), संसद सदस्य अपने आसपास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे।

18. आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए?

ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000–5000 और पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000–3000 होनी चाहिए। यदि इतनी आबादी उपलब्ध न हो तो यथासंभव निर्धारित आबादी के लगभग बराबर आबादी वाली अन्य ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया जा सकता है।

19. प्रत्येक संसद सदस्य को आदर्श ग्राम के लिए कितनी ग्राम पंचायतों का चयन करना चाहिए ?

सबसे पहले मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्रामों (प्रतिवर्ष एक) का चयन किया जाएगा और 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा।

20. ग्राम विकास योजना में किस पर जोर दिया जाएगा?

चिह्नित की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना स्थानीय संदर्भ, संभावनाओं और जरूरतों के आधार पर तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

21. चिह्नित गांव में सामाजिक एकजुटता और माहौल तैयार करने के लिए कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं?

माहौल तैयार करने और सामाजिक एकजुटता के लिए संसद सदस्य को स्वयं ग्राम पंचायत का सहयोग लेना चाहिए। कुछ प्रमुख कार्यकलाप, जिन पर विचार किया जा सकता है, इस प्रकार हैं:–

क. ग्राम सभा, महिला सभा, बाल सभा के साथ चर्चा

ख. व्यावसायिक समूहों और स्थानीय संगठनों (युवा क्लबों सहित) के साथ चर्चा

ग. सांस्कृतिक और खेलकूद समारोहों का आयोजन

घ. दीवारों पर लिखाई, शिविर, पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक आदि

ङ. गांव को आदर्श ग्राम कैसे बनाया जाए, इस विषय में चित्रकारी और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना

च. गांव के विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों का वीडियो दिखाना

22. आदर्श ग्राम के विकास के प्रारंभिक चरणों में कौन से कार्यकलाप किए जा सकते हैं?

आदर्श ग्राम के विकास के प्रारंभिक चरणों में सुझाए गए कुछ कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

क. सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों समेत समुदाय इस बात के लिए सामूहिक रूप से शपथ लेंगे कि समुदाय अपने आर्थिक उत्थान की दिशा में समयबद्ध ढंग से कार्य करेगा ताकि इस गांव में सभी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएं।

ख. भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया जाए और सभी के द्वारा इसे दोहराया जाए।

ग. स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन

घ. स्वच्छता अभियानों का आयोजन

ङ. पशु स्वास्थ्य शिविर

च. उपस्थिति को बढ़ाने और सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ियों में पहल

छ. पीटीआई की भागीदारी से स्थानीय विद्यालयों में पहल ताकि उपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और दोपहर के भोजन की गुणवत्ता इत्यदि बेहतर बनाई जा सके।

ज. वृक्षारोपण

झ. एसएचजी का पुनरूद्धार/गठन करना

ञ. मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस का आयोजन

ट. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार करना।

ठ. जिला कलक्टर और खासकर नागरिक आपूर्ति, सामाजिक कल्याण, भू–राजस्व इत्यादि से संबंधित मुख्य जिला स्तरीय अधिकारियों की भागीदारी से शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन।

23. आयोजना प्रक्रिया का पहला चरण क्या है?

स्थिति का विश्लेषण आयोजना प्रक्रिया का पहला चरण है।

24. आयोजना में स्थिति का विश्लेषण क्या है?

आयोजना बनाने से पहले स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और इसे आयोजना का पहला चरण माना जा सकता है। स्थिति के विश्लेषण में किसी विशिष्ट (विकासात्मक) समस्या का विश्लेषण किया जाता है और अधिकांश मामलों में यह विश्लेषण किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। स्थिति का विश्लेषण किसी समस्या और उससे संबंधित परिस्थितियों का विश्लेषण समस्या के विशिष्ट विश्लेषण के अनुरूप होता है। अतः इस विश्लेषण से निम्निलखित की पूर्ति होती हैः

– लक्षित समूह का विश्लेषण (महिलोन्मुख विश्लेषण सहित)

– भूमि के उपयोग की आयोजना

– स्थिति का विश्लेषण

स्थिति का विश्लेषण जांच के विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय तरीकों या मूल्यांकन के भागीदारीपूर्ण तरीकों या इन दोनों पर आधारित हो सकता है।

25. बेसलाइन सर्वे के क्या प्रयोजन हैं?

बेसलाइन सर्वेः इसके दो प्रयोजन हैं पहला, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान परिदृश्य के ब्यौरों का निर्धारण करना जिससे इसके लिए सुधारों को समुचित रूप से चिह्नित किया जा सके।

दूसरा, भविष्य में होने वाले आर्थिक और मानव विकास की संभावनाओं के साथ–साथ अवसंरचनाओं, सुविधाओं और सेवाओं में कमियों और खामियों के मूल आंकड़े उपलब्ध कराना।

26. स्थिति का भागीदारीपूर्ण विश्लेषण क्या है?

स्थिति का भागीदारीपूर्ण विश्लेषणः इसे प्रशिक्षित सहायता कर्ताओं को शामिल करते हुए स्थानीय समुदाय के माध्यम से कराया जाना चाहिए। प्रयोग की जा सकने वाली मुख्य भागीदारीपूर्ण तकनीकें इस प्रकार हैं – सोशल मैप, संसाधन मैपिंग एवं नीड्स मैट्रिक्स ।

27. सोशल मैपिंग क्या है?

सोशल मैपः स्थानीय व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा मैप है जिसमें विभिन्न श्रेणियों, महत्वपूर्ण संस्थानों भौतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं तथा अन्य सुख–सुविधाओं के अनुसार परिवारों को दर्शाया जाता है।

28. रिसोर्स मैपिंग क्या है?

रिसोर्स मैपिंग: यह गांव में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता करता है। इसे भी स्थानीय लोग ही तैयार करते हैं और इस मैप में निम्नलिखित को दर्शाया जाता है

- भूमि प्रयोग
- जल–निकाय
- सिंचाई की अवसंरचनाएं
- भूमि का वास्तविक स्वरूप – जिसमें ढलानें, ऊबड़–खाबड़ स्थान, जल निकासी की पद्धतियां आदि दर्शाई गई हों।

संसाधन मैप माइक्रो वॉटर शैड की रूपरेखा दर्शाएगा तथा कृषि विकास एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की संभावना का निर्धारण करेगा।

29. नीड्स मैट्रिक्स क्या है?

नीड्स मैट्रिक्स: यह गांव की सामूहिक आवश्यकताओं के विवेकपूर्ण मूल्यांकन और उनकी प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न वर्गों के स्थानीय परिवारों को शामिल करके तैयार किया जाता है।

30. स्थिति के विश्लेषण में जीआईएस की क्या भूमिका होनी चाहिए?

स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े जीआईएस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए जाने चाहिएं।

31. आयोजना के पहले चरण (स्थिति का विश्लेषण) की समीक्षा कैसे की जाएगी?

स्थिति के विश्लेषण की समीक्षा का कार्य संसद सदस्य, जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत और समुदाय मिलकर करेंगे, ताकि निष्पादन का निर्धारण किया जा सके अर्थात गांव स्वयं क्या उपलब्धि प्राप्त कर पाया है और यथोचित समयावधि में क्या उपलब्धि निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएगा।

32. आयोजना का दूसरा चरण क्या है?

आयोजना के दूसरे चरण में कार्यनीति निर्धारित की जाती है।

33. कार्यनीति कैसे निर्धारित की जाती है ?

बेसलाइन सर्वे और साझा मूल्यांकन से लिए गए आंकड़ों के आधार पर स्टेकहोल्डरों का एक चुनिंदा समूह, अधिकारी और विशेषज्ञ कार्यनीति के क्रियान्वयन हेतु विकास एवं

कार्यकलापों के लिए आवश्यक कार्यनीतियों के बारे में सलाह दे सकते हैं। अन्य शब्दों में, आवश्यक योजनाओं और परियोजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा।

34. पंचायतों के विकास के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएँ?

ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का पता लगाया जाएगा। व्यापक रूप से इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. पूर्णरूप से आबद्ध योजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित जैसे कि – आईएवाई, पीएमजीएसवाई इत्यादि।

ख. वे संसाधन जो आंशिक रूप से आबद्ध हैं और जिनके उपयोग में लचीलापन है जैसे– एमजीएनआरईजीएस, आरकेवीवाई, एनआरएलएम, एनएचएम, एसएसए इत्यादि।

ग. व्यापक रूप से अनाबद्ध संसाधनों जैसे – बीआरजीएफ, एमपीएलएडीएस इत्यादि जो आवश्यकतानुसार गंभीर कमियों को दूर करने में अत्यधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। विधायकों की सहमति से स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की भी सहायता ली जा सकती है।

घ. ग्राम पंचायतों के पूर्ण रूप से अनाबद्ध संसाधन जैसे – स्वयं का राजस्व, केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान इत्यादि।

ङ. वे संसाधन जिन्हें स्थानीय स्तर पर नकद, सामान एवं श्रम के रूप में जुटाया जा सकता है।

च. सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी) निधियां।

उपर्युक्त श्रेणियों के संसाधनों का इस्तेमाल अधिकतम तालमेल सुनिश्चित करने के लिए संकेन्द्रित और समेकित तरीके से किया जाना चाहिए। **केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के दिशा निर्देशों में संबंधित मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त परिवर्तन करेंगे, ताकि उन स्कीमों/कार्यक्रमों में आदर्श ग्राम को प्राथमिकता दी जा सके।**

35. आदर्श ग्राम के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए ?

अधिकतम तालमेल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के संसाधनों का सुसंगत और समेकित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।

36. गांव की आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा ?

आवश्यकताओं का निर्धारण जिस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, उसके दो चरण

इस प्रकार हैं: पहले चरण में विभिन्न स्टेकहोल्डरों विशेष रूप से महिला स्व–सहायता समूहों और कृषक समूहों तथा दूसरे चरण में ग्राम सभा विमर्श के जरिए। इन मंचों पर अभी तक किए गए कार्यों के परिणामों के सार को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और यथासंभव मानदण्ड के अनुसार तथा सर्वसम्मति से आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए।

37. ग्राम विकास योजना (वीडीपी) कैसे तैयार की जाएगी?

जिला कलेक्टर लोगों की वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा जिसमें सरकारी अधिकारी और बाहरी व्यावसायिक/विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस वीडीपी में पहले चरण के कार्यकलाप, योगदान और उपलब्धियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें समय–सीमाओं के साथ–साथ अपेक्षित आउटपुट और परिणामों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

38. आदर्श ग्राम की वीडीपी के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

वीडीपी का प्रारूप चर्चा और मंजूरी के लिए ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाएगा।

39. आदर्श ग्राम की वीडीपी को कौन अनुमोदित करता है?

जिला कलैक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा संसद सदस्य की टिप्पणियों और सलाहों पर विधिवत रूप से विचार करते हुए उसकी उपस्थिति में वीडीपी का अनुमोदन किया जाएगा। वीडीपी की स्वीकृति के समय समिति विशिष्ट लक्ष्यों के साथ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, एक वर्ष और इससे अधिक अवधि वाले विभिन्न घटकों के चरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाएगी।

40. आदर्श ग्राम के अनुमोदित योजना कार्यकलापों के परियोजनाकरण और स्वीकृतियां प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?

इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को अनुमोदित योजना के घटकों को परियोजनाओं का रूप देकर इनके लिए संबंधित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यथावश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने चाहिएं। जिला कलैक्टर को निरंतर समयबद्ध तरीके से इस कार्य के निष्पादन के लिए स्वयं इसका समन्वयन करना चाहिए। प्रभारी अधिकारी उसकी सहायता करेगा।

41. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

अनुमोदित योजना के वास्ताविक और वित्तीय पहलुओं तथा अपेक्षित निष्पादनों एवं परिणामों सहित उसकी सभी प्रक्रियाओं एवं घटकों का ब्यौरा स्वयंमेव प्रकट किया जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

42. आदर्श ग्राम कार्यक्रम में कौन सी समय–सीमाओं का अनुपालन किया जाना है?

आदर्श ग्राम कार्यक्रम में अनुपालन के लिए सुझाई गई समय–सीमाएं इस प्रकार हैं:

	कार्य की मद	कार्य शुरू होने की तारीख से समय – सीमा (संचयी)
	आदर्श ग्राम का चयन	एक माह
	योजना के विषय में जागरूकता बढ़ाना	दो माह
	माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता	तीन माह
	प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरंभ	तीन माह
	प्रथम चरण के कार्यकलापों की समीक्षा	पांच माह
	वीडीपी की तैयारी का समापन	सात माह
	अनुमोदन और स्वीकृतियां	आठ माह
	कार्यकलापों का आरंभ	नौ माह
	ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी की प्रगति की समीक्षा	एक वर्ष

43. एसएजीवाई में संसद सदस्य की क्या भूमिका होगी?

एसएजीवाई में संसद सदस्य की भूमिका इस प्रकार होगी:

- आदर्श ग्राम का निर्धारण और चयन करना
- गांव के समुदाय से संपर्क करना और उन्हें अपनी क्षमतानुसार विकास कार्यकलाप स्वयं शुरू करने के लिए प्रेरित करना
- योजना के मूल्यों का प्रचार–प्रसार करना
- सही माहौल तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करना
- आयोजना प्रक्रिया में मदद करना
- विशेषकर सीएसआर और परोपकारी संस्थाओं से यथासंभव अतिरिक्त संसाधन जुटाना
- योजना की अहम कमियों की पूर्ति संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना की निधियों से करना

- समय–समय पर प्रगति की निगरानी करना और मुद्दों व समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सक्रिय प्रसार करना और लोक शिकायतों के निपटान में मदद करना।
- वांछित और अमूर्त, विशेषकर सामाजिक परिणामों की प्राप्ति के लिए समुदाय से समन्वय करना।

44. एसएजीवाई के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के स्तर पर कैसी संस्थागत व्यवस्था होगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल मंत्रालय है। दो राष्ट्रीय समितियां कार्यान्वयन का निरीक्षण करेंगी। एक समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे और उसमें योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन और निर्णयानुसार अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। दूसरी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव होंगे और इसमें आगे दर्शाए गए मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगेः

- पंचायती राज
- आयोजना
- भूमि संसाधन
- महिला एवं बाल विकास
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- स्कूली शिक्षा
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता
- विद्युत
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
- दूर संचार
- सूचना प्रौद्योगिकी
- जल संसाधन
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता

- जनजातीय कार्य
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
- कृषि
- खेलकूद और युवा कार्य
- अन्य संगत मंत्रालय

समिति इस योजना के प्रमुख विषय–विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है। संविदा आधार पर कार्यरत तीन संसाधन व्यक्तियों वाला छोटा, संकेंद्रित, अधिक प्रभावी सचिवालय इस समिति की सहायता करेगा।

45. समिति के कार्य क्या होंगे?

समिति के कार्य इस प्रकार होंगेः

- निर्धारण और आयोजना की प्रक्रिया की निगरानी करना
- योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना
- समवर्ती निगरानी और परियोजनोपरांत मूल्यांकन का तंत्र निर्धारित करना। विभिन्न राज्यों में मानक निगरानी पद्धतियां निर्धारित करने के उद्देश्य से वेब–आधारित निगरानी प्रणाली तैयार की जाएगी।
- रुकावटों और समस्याओं की पहचान करना और जहां कहीं आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना और इस योजना के दिशा–निर्देशों में यथापेक्षित परिवर्तन करना।
- विभिन्न राज्यों में क्षमता विकास के लिए प्रत्येक मंत्रालय जो विशिष्ट संसाधन सहायता प्रदान करेगा, वह सहायता दर्शाना
- राज्यों को एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग्राम–स्तरीय विकास के सर्वोत्तम कार्यों का वीडियों तथा प्रिंट माध्यमों से प्रचार–प्रसार करना।
- इस योजना के विषय में सामान्य अथवा मद–विशिष्ट प्रचालन दिशा–निर्देश और सलाह समय–समय पर जारी करना।

46. एसएजीवाई के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कैसी संस्थागत व्यवस्था होगी?

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी जिसमें सभी

संबंधित विभाग और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ शामिल होंगे जिसमें सिविल सोसायटी के कम से कम दो प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग सचिव इसके सदस्य–संयोजक होंगे। इस राज्य स्तरीय समिति के कामकाज में मदद करने के लिए ठेका आधार पर दो पूर्णकालिक संसाधन व्यक्तियों को तैनात किया जा सकता है।

47. राज्य स्तरीय समिति का क्या कार्य होगा?

कम से कम एक तिमाही में एक बार इस समिति की बैठक होगी और समिति जो कार्य करेगी, वे इस प्रकार हैं:

- केंद्रीय एसएजीवाई दिशा–निर्देशों के अनुपूरक और विभिन्न राज्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट अनुदेश जारी करना। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों के कर्मियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की जानी चाहिए।
- निर्धारित समय–सीमाओं में प्रमुख आउटपुटों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्गमन क्षेत्रों की ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करना और आवश्यक होने पर परिवर्तनों के सुझाव देना।
- कार्यान्वयन की समीक्षा करना और वेब आधारित निगरानी प्रणाली के अनुपूरक के रूप में निगरानी तंत्र निर्धारित करना।
- रुकावटों और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता का निर्धारण करना तथा समय–समय पर आवश्यक अनुदेश/सरकारी आदेश जारी करना।
- राष्ट्रीय स्तर की समितियों के साथ यथापेक्षित समन्वय करना।
- आदर्श गांवों के प्रकटीकरण दौरों की समय–सारणी तैयार करना और सर्वोत्तम कार्यों के प्रचार–प्रसार की राज्य योजना तैयार करना।
- इस योजना के संबंध में शिकायत निपटान तंत्र की रूपरेखा तैयार करना, जो कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रभारी अधिकारी और जिले के स्तर पर स्थापित किया जाएगा।
- यदि आवश्यक हो तो यह समिति समस्याओं का निर्धारण और समाधान करने के लिए संसद सदस्यों के छोटे समूहों से विचार–विमर्श कर सकती है।

48. जिला स्तर पर किस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होगी?

जिला कलेक्टर सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा। जिला कलेक्टर संबंधित भागीदारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक

समीक्षा बैठक करेगा। संबंधित संसद सदस्य इन समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया भी इन मासिक बैठकों में आमंत्रित किए जाएंगे।

जिला कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त वरीयता वाला सक्षम प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा, जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय करेगा और कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार एवं जवाबदेह होगा। जिला कलेक्टर प्रधानमंत्री ग्राम विकास फेलोशिप (पीएमआरडीएफ) और एनआरएलएम के जिला मिशन प्रबंधन एककों के निर्धारित व्यक्तियों, यदि वे वहां तैनात हैं, को सक्रियतापूर्वक इस योजना में शामिल करेगा।

49. जिला कलक्टर की क्या जिम्मेवारियां हैं?

जिला कलैक्टर की जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगीः

- बेसलाइन सर्वे कराना
- ग्राम विकास योजना तैयार करने में मदद करना
- संगत योजनाओं से तालमेल करना
- सभी संबंधित विभागों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समन्वय करना।
- हर महीने प्रगति की समीक्षा करके रिपोर्ट राज्य और भारत सरकार को भेजना
- संबंधित योजना के दिशा–निर्देशों में निर्धारित शिकायत निपटान और स्वतः प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन करना
- प्रगति का जायजा लेने के लिए समय–समय पर कार्यस्थालों के दौरों की व्यवस्था करना।

50. प्रौद्योगिकियों और अभिनव पहलों के ऐसे कौन से विस्तृत क्षेत्र हैं जिनका एसएजीवाई के क्रियान्वयन में इस्तेमाल किया जा सकता है?

1. स्पेस एप्लिकेशन और रिमोट सेंसिंगः इसका प्रयोग कार्यक्रमों की आयोजना और निगरानी में किया जाएगा। परिसंपत्तियों की मैपिंग जीआईएस से की जाएगी। इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता राज्य रिमोट सेंसिंग एजेंसियां प्रदान करेंगी।

2. मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकियांः इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग जियो–टैगिंग के जरिए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किया जाएगा। आवश्यक माड्यूल और सहायता एनआईसी उपलब्ध कराएगी।

3. कृषि संबंधी प्रौद्योगिकियां और नए उपायः स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र और

जिला एटीएमए प्राप्त इन प्रौद्योगिकियों एवं नए उपायों में से उत्पादन और उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जा सकेगी।

4. आजीविका संबंधी प्रौद्योगिकियां और नए उपाय: इन्हें मंत्रालय द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से स्थापित नैशनल इनोवेशन फाउंडेशन और बैंक ऑफ आइडियाज से प्राप्त किया जा सकता है।

5. उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां: स्थानीय सामग्री और डिजाइनों से निर्माण कार्य करने वाले विशेषज्ञ संगठनों की सहायता से इनका विकास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली का हाउसिंग नॉलेज नेटवर्क इस प्रयोजनार्थ आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

6. सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियां: इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय सड़क विकास एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7. जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियां: पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय किफायती तथा नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय आदर्श ग्रामों के लिए संगत प्रौद्योगिकियों और नए उपायों का संग्रह तैयार करेगा तथा उनका प्रचार–प्रसार करेगा।

51. एसएजीवाई के क्रियान्वयन में निजी, स्वयंसेवी तथा सहकारी क्षेत्र किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं?

एसएजीवाई में निजी, स्वयंसेवी और सहकारी क्षेत्रों की शक्तियों एवं संसाधनों का सक्रियता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे निम्न मदद मिल सकेगी:

- आयोजना, निगरानी के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना
- स्थानीय प्रयोग के लिए संगत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना
- निम्न के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास के लिए या तो स्वतंत्र रूप से या सरकारी प्रयासों के अनुपूरक के रूप में निवेश करना/सेवाएं उपलब्ध कराना
    1. स्थानीय कर्मियों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास
    2. रोजगार पाने की योग्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं का कौशल विकास करना
    3. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना
    4. व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए परामर्श प्रदान करना

52. एसएजीवाई के क्रियान्वयन में कर्मियों का क्षमता निर्माण कौन करेगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे राज्य स्तर पर एसआईआरडी संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) हैदराबाद शुरू करेगा।

53. एसएजीवाई में कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या करेगा?

जो कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, वे इस प्रकार होंगे :

1. विभिन्न घटकों को शुरू करने संबंधी विस्तृत पुस्तिकाएं स्टेकहोल्डरों के लिए तैयार करना
2. ग्रामीण विकास से संबंधित नए प्रकार के सर्वोत्तम कार्यों के दस्तावेज तैयार करना और उन कार्यों का प्रचार–प्रसार करना
3. जहां कही आवश्यक हो, वहां शंकाओं का समाधान करने और सलाह देने के लिए सिंगल प्वाइंट के रूप में हेल्प डेस्क एनआईआरडी एंड पीआर में स्थापित करना
4. गांवों के जोड़े बनाने की व्यवस्था के माध्यम से साथी समूहों से सीखने के लिए सर्वोत्तम निष्पादन वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण करना।

54. एसएजीवाई के संभावित परिणाम क्या होंगे?

एसएजीवाई से अपेक्षित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार होंगे:

- आजीविकाओं/रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- पलायन में कमी
- बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मैला ढोने से मुक्ति
- मृत्यु और जन्म के शत–प्रतिशत मामलों का पंजीकरण
- समुदाय के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विकास
- शांति और सौहार्द
- अन्य ग्राम पंचायतों पर आदर्श ग्रामों के प्रदर्शन का प्रभाव

55. एसएजीवाई में किस प्रकार के निगरानी तंत्र को लागू किया गया है?

इस योजना के सभी पहलुओं और घटकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पृथक तात्कालिक वेब–आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली में संसद सदस्यों और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डरों को अपने सुझाव/टिप्पणियां देने तथा प्रश्न पूछने या शिकायतें दर्ज करने के लिए इंटरफेस की सुविधा उपलब्ध होगी और कार्यान्वयनकर्ता प्राधिकरणों को तुरंत इन सभी का जवाब देना चाहिए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई प्रत्येक प्रक्रिया के फोटो लेकर तथा उनका जियो–टेगीकरण करके उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। इसी प्रकार सभी परिसंपत्तियों के विभिन्न चरणों के फोटो अपलोड किए जाएंगे।

ग्राम विकास योजना में निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक कार्यकलाप के अंतर्गत आउटपुटों का आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 12वीं योजना के प्रमुख निगरानी योग्य संकेतकों का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाएगा। जहां तक संभव हो सके समय–समय पर परिणामों की जानकारी भी दर्शायी जाएगी

56. एसएजीवाई के मूल्यांकन के लिए कैसी प्रक्रिया अपनाई गई है?

निष्पादन का मध्यावधि मूल्यांकन सक्षम स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। इसी प्रकार निष्पादन और परिणामों का परियोजनोपरांत निर्धारण भी किया जाएगा।

57. क्या एसएजीवाई के क्रियान्वयन में कोई वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है?

पुरस्कार के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और ये पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिए जाने का प्रस्ताव है।

क) सर्वोत्तम कार्य

ख) सर्वोत्तम प्रभारी अधिकारी

ग) सर्वोत्तम जिला कलेक्टर

घ) सर्वोत्तम आदर्श ग्राम

58. एसएजीवाई में आदर्श ग्राम का स्थायित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

परियोजनोपरांत स्थायित्व निम्नलिखित के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है:

- संसद सदस्य का नेतृत्व और मार्गदर्शन निरंतर जारी रहेगा

- कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव में भूमिकाओं की स्पष्टता के साथ–साथ ग्राम पंचायत और ग्राम समुदाय के स्वामित्व एवं नेतृत्व की सुदृढ़ भावना
- सीवर व्यवस्था और विशाल जलापूर्ति योजनाओं जैसी अपेक्षाकृत बड़ी परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता।
- कृषि खाद प्रणालियों, छोटी जलापूर्ति योजनाओं, पोषण केंद्रों, नागरिक सेवा केंद्रों, पुस्तकालयों इत्यादि जैसी अपेक्षाकृत छोटी सामुदायिक परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव में स्व–सहायता समूहों की सहभागिता
- योजना के अंतर्गत परियोजनाएं अनुमोदित करते समय ही प्रचालन और रख–रखाव की विभागीय जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्ट प्रोटोकाल निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें स्वीकृत किया जाएगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन
नई दिल्ली–110001, भारत
फोनः +91 11 23383553
www.pmusaanjhi@gov.in
www.saanjhi.gov.in